



Neutral Citation No-2026:AHC:6140

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4299 वर्ष 2025

संजीव कुमार सिंह और एक अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम बिलास कन्नौजिया, शशि रंजन श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करते हुए, 13 नवंबर, 2025 का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

"1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री शशि रंजन श्रीवास्तव और राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए प्रस्तुत याचिका दायर की गई है:-

"i- परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2-चकबंदी अधिकारी सर्किल रामबाग, मिर्जापुर को निर्देश दिया जाए कि वह इस रिट याचिका पर कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या-20254165331011900 (सुरेंद्र नारायण बनाम उदय नारायण) मौजा बाजाहा, परगना कासीवर, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर को धारा 9ए(2) उत्तर प्रदेश चकबंदी ऑफ होन्डिंग एक्ट के तहत तय करे।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षियों को निर्देश दिया जाए कि वे प्रश्न में भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

iii. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती की ओर से दायर शीर्षक आपति 1983 से प्रतिपक्षी संख्या-2-चकबंदी अधिकारी के समक्ष लंबित है।

4. श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या-2 से निर्देश प्राप्त करेंगे कि 1983 से शीर्षक आपति क्यों लंबित है।

5. इस मामले को 28.11.2025 को नए सिरे से रखें।

2. स्थायी अधिवक्ता ने आज अदालत में निर्देश की प्रति प्रस्तुत की है, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है। कार्यालय को तदनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

3. स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सामान्य तिथियां तय की जा रही हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि उपरोक्त कार्यवाही के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

4. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस निर्देश के साथ कि निपटान अधिकारी चकबंदी (अतिरिक्त), जिला आजमगढ़ (प्रतिपक्षी संख्या-2), जिसके समक्ष उपरोक्त मामला विचाराधीन है, कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा।

5. यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

6 . उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)